साक्षात्कार - 15

नाम : फूचा सोरेन
आयु : 35 वर्ष
स्थान : पोटंगा
भेंटकर्ता : दावलेन मिंज़

फूचा सोरेन अपनी पत्नी व बच्चों सहित पोटंगा में रहते हैं। ये लोग 6 भाई थे। इनके पिता का देहान्त हो चुका है किंतु माँ अभी जीवित हैं। इनके 4 बच्चे हैं - 2 लड़के व 2 लड़कियाँ। इन्होंने शुरू से ही सीसीएल के विरुद्ध संघर्ष किया। किंतु यह महसूस करते हैं कि निरंतर संघर्ष के बाद भी इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया है। आंदोलन के दौरान यह जेल भी जा चुके हैं किंतु अब भी यह संघर्ष जारी रखने के इच्छुक हैं और हिम्मत नहीं हारी है।

जंगल पहाड़ हम साफ करते हैं
बाघ भालू को हम भगाते हैं
नाले जोहड़ में हम काम करते हैं
लेकिन काम कर के थकने पर भी
भैया, काम कर के मरने पर भी
मेहनत का फल हमको नहीं मिलता
भैया, मेहनत का फल हम नहीं पाते हैं...

सीसीएल यहाँ 1975 मे आई और कोलियरी के लिए 4 गाँवों का अधिग्रहण किया - उरीमारी, पोटंगा, जरजरा और उसवा। गंधौनी के पूरब से और हेसाबेड़ा के पश्चिम से

खदान की शुरूआत हुई। जब शुरूआत हुई तो हम सब लोग भी वहाँ देखने गए। वहाँ साहब लोग गाड़ी से आए थे और सब लोगों को बता रहे थे कि सबको नौकरी मिलेगी। तुम लोग कोई डिस्टर्ब मत करो। तुम लोग के लिए बिल्डिंग बना देंगे, रोड बना देंगे, तुम लोगों को नौकरी देंगे। कोलियरी को अच्छे से चलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। हम लोग भी उनकी बातों का विश्वास कर के खुश थे। वो कह रहे थे कि सबके लिए घर बना देंगे, घर घर में पानी का पाईप लगा देंगे।

लेकिन जैसा कि देखने में आ गया है, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। अब हमारी समझ में आ गया है कि उस समय ऐसा कह कर वे हमें फुसला रहे थे ताकि यहाँ के लोग कोलियरी को डिस्टर्ब न करें। उन्होंने यहाँ के नेता लोगों से मिल कर खदानें खोलीं। जब कोलियरी खुल गई तो नेता लोग बताने लगे कि अब तुम लोगों के लिए सेल डिपो चालू कर देंगे। जब ट्रक चालू हो गए तो बहुत लोग वहाँ मज़दूरी करने के लिए जाने लगे। बेलचे से गाड़ी में कोयला लोड करने लगे। कईयों ने 16 साल मज़दूरी की । क्योकि सब मज़दूरों को यह आशा बंधवा रखी थी कि नौकरी पक्की हो जाएगी। लेकिन 15 साल बीतने के बाद भी किसी की नौकरी नहीं हुई। अब सेल डिपो और डम्पर से जीविका चलने का कोई भरोसा नहीं है पर थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता है।

सबकी ज़मीन खदान में चली गई। कुछ लोगों को बदले में नौकरी मिल गई। लेकिन कई लोग केवल बेज़मीन हो गए। कई गाँव के लोग घर से बेघर हो गए, जैसे उरीमारी और हेसाबेड़ा के लोग। सीसीएल ने बाहर के दलालों के साथ मिल कर सब लोगों को इधर उधर छितरा दिया है। जो हो गया वो तो हो गया लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक हम लोगों को सही से जगह नहीं देंगे, सही से व्यवस्था कर के नहीं देंगे, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे।

सीसीएल एक तरफ तो ज़मीन लेती है और दूसरी तरफ हमें केस में फंसाती है

जब सीसीएल 1982 में नौकरी दे रही थी तो किसी को नहीं मालूम था कि किस तरह से दे रही है। नेता और दलाल लोगों ने हमको समझाया कि अभी सब घर में एक एक नौकरी ले लीजिए, बाद में जैसे जैसे कोलियरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नौकरी भी मिलती जाएगी। तब हम लोग को पता नहीं था कि सीसीएल घुसने पर 2-3 एकड़ ज़मीन भी माँगेगी। जब यहाँ अच्छी तरह से कोलियरी ने कब्ज़ा कर लिया जब हम लोगों को बताया कि 3 एकड़ पर 1 आदमी को नौकरी होगी। यह सब नियम सीसीएल ने अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं। लेकिन हम इनको मंजूर नहीं करते क्योंकि हम 3 एकड़ ज़मीन कहाँ से ला कर देंगे कम्पनी को ? अगर बाप को 3 ही एकड़ ज़मीन है और 3 या 4 बेटे हैं तो वह सब में बराबर बाँट देता है और उससे सबकी जीविका चलती है। लेकिन सारी ज़मीन दे कर भी अगर 1 ही बेटे को नौकरी मिलेगी तो कैसे चलेगा? बाकी बेटे क्या करेंगे? कहाँ से कमाएँगे खाएँगे ?

सीसीएल ने ज़मीन लेने से पहले किसी रैयत से नहीं पूछा। सब अपने मन से ले ली। इसके लिए हमने विरोध किया भी और अब भी कर रहे हैं। लिखा-पढ़ी भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। पहले अफसर लोग से मारपीट हो गई तो फिर जेल भी गए। हुआ यूँ कि हमने देखा कि साहब लोग चुपके चुपके आते हैं और हमारी जमीन को नापते हैं। हमने देख लिया तो उन्हें बांध कर पीटा। पीट दिया तो हम लोगों के उपर केस कर दिया। कुछ दिन तो हम कचहरी में तारीख में गए लेकिन जब पैसा नहीं जुटा पाए तो जाना बंद कर दिया। जाना बंद कर दिया तो वारंट हो गया और कुर्की ज़ब्ती का नोटिस आ गया। तो हम लोगों को सरेन्डर करना पड़ा। 3 महीने की जेल की सज़ा हो गई।

जेल में गए तो इतना गुस्सा आता था कि सोचते थे निकलने के बाद खूब मार पीट करेंगे। जब बाहर आ गए तो सोचा कि ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो ये लोग हमको फिर केस में फँसा देंगे और हमारे पास कोर्ट कचहरी के लिए पैसा नहीं है। इसलिए अब लड़ेंगे तो लोगों की सलाह से और नियम से लड़ेंगे। सीसीएल ने बहुत धोखा किया है। हमने सीसीएल को अपनी ज़मीन भी दी और उसने हमें केस में भी फँसा दिया।

खदान से हमें किसी तरह का कोई फायदा नहीं है

नौकरी के लिए हमने लोगों ने बहुत झगड़ा किया है। बहुत आंदोलन किया है। साहब लोगों के साथ मार पिटाई भी हुई है। जेल भी गए हैं। खदान भी बंद करवा दी है। वह तो बाद में हमें नेता लोग सब दबाने लगे कि कोलियरी बंद करने से बहुत लोग बेरोज़गार हो जाएँगे। यहाँ पर आप लोग खदान को चलने दीजिए। आप नौकरी के लिए लड़ रहे हैं लेकिन जब कोलियरी खुलेगा तब न यहाँ नौकरी होगी। इस तरह हम लोगों को फुसला कर नेता लोग ने खदान को फिर से चालू करवा दिया।

हमें सीसीएल से अपना हक लेना है। जैसे हम लोगों की गैरमजुरवा ज़मीन है जिसमें हम ही लोग की जोत आबाद है। उसमें भी हम ही लोग का नौकरी लेने का हक बनता है। लेकिन सीसीएल तो उस जमीन को लूट रही है। कम्पनी के आने से पहले हम उस ज़मीन पर खेती बारी करते थे। इसलिए या तो उस ज़मीन के बदले हम लोग को नौकरी मिलनी चाहिए या उस ज़मीन को हमारे लिए छोड़ दो। जैसी खेतीबाड़ी करते थे वैसी ही करते रहेंगे। हमें उस ज़मीन पर अड़ना होगा तभी सीसीएल उस ज़मीन पर हम लोगों को बंदोबस्ती देगी। खदान के आने से हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। खेती बाड़ी से वंचित हो गए। कुएँ नाले-नदी, सबका पानी सूख गया। पहले गाय भैंस पालते थे। अब तो सब गड्ढ़ा कर दिया है, जंगल पहाड़ तरफ सब डोजरिंग करके खत्म कर दिया है। जानवर कहाँ चराएँगे ? जंगल तरफ से जो शुद्व हवा आती थी उसकी जगह खदान की धूल मिट्टी में साँस लेनी पड़ती है। खदान के आने से जो गाँव सब एक साथ थे वे भी विस्थापित हो कर सब छितर गए हैं। हम लोग के लिए खदान न आने से ही ठीक था। खदान आने से किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ है।

सीसीएल के आने से कुछ अच्छा भी हुआ है

जब खदान नहीं खुली थी तब हम लोग सब खेती बाड़ी कर के रहते थे। तब खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी लेकिन पैसा कौड़ी की बहुत परेशानी थी। कपड़े लत्ते खरीदने में काफी दिक्कत होती थी। सीसीएल के आने से हम लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया है। अब जैसे पहले हमारे माँ बाप ने हमको नहीं पढ़ाया और हम अशिक्षित ही रह गए। लेकिन सीसीएल के साहिब ने बोला कि तुम लोग अपने गाँव में स्कूल खोल लो। जो पैसा लगेगा वो हम देंगे और तुम लोग भी चंदा इकट्ठा करो। अब हमारे गाँव में स्कूल हो तो लड़का हो या लड़की हम सबको पढ़ाएँगे। पहले जैसे अनपढ़ नहीं रखेंगे। तो सीसीएल ने ज़मीन तो ले ली है पर कुछ सुविधाएँ भी दी हैं। गाँव में बिजली भी सीसीएल ही लाई। ब्लॉक की तरफ से पानी का तालाब भी मिला। सीसीएल ने हमको क्वार्टर भी बनवा कर देने चाहे पर हमने ही रहने से मना कर दिया। क्योंकि हम गाँव देहात वालों को क्वार्टरों में रहने की आदत नहीं है।

तो सीसीएल के आने से अच्छा और बुरा दोनों हुआ। सीसीएल ने बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूल दिया, बिजली पानी दिया। फिर अब का रहन सहन पहले से बेहतर है। पहले उतने साधन नहीं थे। तकलीफ ज़्यादा थी। बच्चे लोग पढ़ लिख गए हैं तो कहते है कि क्या खाली दिकू लोग ही अच्छे से रह सकते हैं ? क्या हम आदिवासियों को रहने का ढंग नहीं है ? बाहरी लोगों को देख कर भी हम लोगों में थोड़ा बदलाव आया है। कहीं जाते हैं तो बात भी कर लेते हैं। पहले तो हम महिला लोग केवल घर में ही रहते थे। अब खदान आने के बाद से बदलाव आया है। अब तो हम बाहर भी जाते हैं।

तेतरी किस्कू - 35 वर्ष - हेसाबेड़ा,उरीमारी

साक्षात्कार - 16

नाम : देवीलाल हेमब्रोम
आयु : 26 वर्ष
स्थान : दुरू कसमार
भेंटकर्ता : बार्नाबास टुडू

देवीलाल दुरू कसमार में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा पार्टी के पंचायत अध्यक्ष हैं। इन्होंने खदान के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए संगठन बनाया है। यह विवाहित हैं और अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ अपने पिता के साथ ही रहते हैं। इनकी माँ का देहान्त हो चुका है। इनके पिता सीसीएल में नौकरी करते हैं। यह खुद बेरोज़गार हैं और थोड़ी बहुत कमाई डम्प से करते हैं। इनका अधिकतर समय समाज सेवा व लोगों से संपर्क में जाता है।

हमें अपनी जन्म तिथि तो ठीक से मालूम नहीं लेकिन हमारी उम्र इस वक्त होगी कोई 25-26 साल। हमारी पत्नी भी लगभग 23 साल की होगी। हमारी शादी बहुत छोटी उम्र में ही कर दी गई - 1990 में ही हमारा विवाह हो गया। तब हम उतने समझदार नहीं थे। फिर भी उस दौरान हमें अनुभव हो रहा था कि इतनी छोटी उम्र में शादी ठीक नहीं है। पता नहीं हम आगे कुछ कर भी पाएँगे कि नहीं। लेकिन शादी करने के बाद हमने अपना घर संभाला और जैसे न तैसे अभी तक रोज़ी रोज़गार के माध्यम से जीवनयापन कर ही रहे हैं।

जब हमारा विवाह हुआ तो हमारी पत्नी बहुत छोटी थी। उसको कुछ भी नहीं आता था। शादी के लगभग 2 साल बाद हमारी बड़ी लड़की का जन्म हुआ। उस समय हम भी कुछ ज्यादा जानते नहीं थे। पैसे-वैसे की कोई समझ नहीं थी हमको। हमारी बच्ची का जन्म रात को 3 बजे हुआ। उसी दिन हमारी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। आज रात बच्ची का जन्म हुआ और अगली रात हमारी माँ का देहान्त हो गया। हमारे पिताजी तो वैसे ही

कभी ड्यूटी पर जाते थे कभी छोड़े रहते थे। तो घर में पैसा-वैसा कुछ था नहीं। हमारी पत्नी की भी अभी डिलीवरी हुई थी। एक तरफ तो घर में नए शिशु के पैदा होने से खुशी हुई और एकदम माँ का देहान्त हो जाने से सब खुशी ग़म में बदल गई। उस समय हमारे बड़े भाई ने ही हमारी मदद की और सब कुछ संभाला।

हमारी रोज़ी कोयले के डम्प से जुड़ी हुई है

हम 1990 से ही झारखण्ड मुक्ति मोर्चा में सक्रिय हैं। पंचायत अध्यक्ष हम बने नहीं हैं, हमको बनाया गया है। फिर सीसीएल हमको यहाँ से विस्थापित करना चाहती है। इसलिए हमने सीसीएल से मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया है जिसका नाम है विस्थापित संघर्ष समिति। इसमें दुरू कसमार, उल्हारा, बरिसोम, इन तीनों मौजा के लोग शामिल हैं। सबने विस्थापित संघर्ष समिति का अध्यक्ष पद भी हमको ही सौंपा है। फिलहाल तो हम बेरोज़गार हैं। लेकिन अध्यक्ष होने के नाते हमको लोगों से संपर्क में रहना होता है

दंगल में काम करती औरतें

और समय देना होता है इसलिए हम अधिकतर उसी में व्यस्त रहते हैं। वैसे हमारी रोज़ी रोटी कोयले के डम्प से जुड़ी हुई है।

हमारे क्षेत्र में यह डम्प झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के प्रयत्नों से ही उपलब्ध हुआ है। इसमें कोयले की लोडिंग होती है। मान लीजिए एक ट्रक को लोड करने का 1000 रु मिलता है। तो 15 मज़दूरों का एक दंगल या ग्रुप होता है। वे लोग एक गाड़ी को लोड करते हैं और जो पैसा मिलता है उसे आपस में बाँट लेते हैं। लेकिन डम्प का संचालन रेग्यूलर नहीं है। सीसीएल कभी 15 दिन चलाती है, कभी 20 दिन चलाती है । टालमटोल कर खींच तान कर चलाती है। यहाँ के मजदूरों की बड़ी दयनीय स्थिति है। जब डम्प नहीं चलता तो बेरोज़गार हो कर मजबूरन बाहर जाना पड़ता है ठेकेदारी का काम करने के लिए मज़दूर के रूप में।

हम लोग तो खदान आने के बाद से न इधर के रहे हैं न उधर के। जब खेती का मौसम आता है तब डम्प बिलकुल रेग्यूलर चलता है। तब लोग खेती गृहस्थी छोड़ कर नगदी कमाने डम्प की ओर ही जाते हैं। तो खेती तो बरबाद हो जाती है। जब खेती का मौसम खत्म हो जाता है तो डम्प भी चलाना बंद कर देते हैं। फिर बेरोज़गारी छा जाती है। लोग जानवर मवेशी को भी कब्जे में हिफ़ाज़त से नहीं रखते, इसलिए जो थोड़ी बहुत खेती होती भी है उसको जानवर सत्यानाश कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर लगभग भुखमरी की स्थिति फैल गई है।

सरकार की नीतियाँ लोकहित में नहीं हैं

यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण की नोटिफिकेशन 1983 में हुई थी। लेकिन सब लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिली थी। कह लीजिए कि नोटिफिकेशन के नाम पर सरासर धोखा ही हुआ था। ठीक है कि ज़मीन के नीचे सरकारी संपत्ति है लेकिन सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं वे ज़मीन जोतने वालों के हित में या लोकहित में नहीं हैं।

सीसीएल ने नियम बनाया है कि यदि मैट्रिक किए हुए हैं तो 2 एकड़ पर नौकरी

मिलेगी। और यदि अगूठाँछाप हैं तो 3 एकड़ पर नौकरी मिलेगी। अब हर एक रैयत के पास तो 2-3 एकड़ ज़मीन उपलब्ध नहीं है। अब हमारा हिस्सा ही करीब डेढ़ एकड़ ही बस होता है। ज़मीन का खतियान हमारे छड़ दादा के नाम पर है। खतियान रैयतों के लिये एक बहुत बड़ा सबूत है कि जिस जिस ज़मीन पर जो रैयत जोत आबाद करता आ रहा है तो मालिकाना हक खतियान में ही देखा जाता है कि कौन रैयत ज़मीन का मालिक है। हमारे छड़ दादा के समय 12 एकड़ कुछ डी मी ज़मीन थी जो बंटते बंटते आज हमारे हिस्से में मात्र डेढ़ एकड़ ही रह गई है। अगर हम मैट्रिक भी पास कर लेते हैं, जैसा कि हम सोच रहे हैं, तो भी हमारी इस रैयती ज़मीन के हिसाब से हमें नौकरी तो मिलेगी नहीं।

लेकिन हमारी करीब 2.75 एकड़ ज़मीन और हमारे पिताजी की लगभग 4 एकड़ ज़मीन बंदोबस्ती में है जिसका मुआवज़ा अभी सीसीएल ने नहीं दिया है। जब उसका सत्यापन हो जाएगा तो सीसीएल पेमेन्ट करेगी। सत्यापन एक तरह का वेरीफ़िकेशन है कि यह प्लॉट की ज़मीन गैरमजुरवा थी और फलाना रैयत उसको जोत आबाद करते आया है। तो उसकी बन्दोबस्ती होती है। हम सुन रहे हैं कि सीसीएल बन्दोबस्ती ज़मीन का सिर्फ मुआवज़ा ही देगी, नौकरी नहीं देगी। क्यों ? यह तो बस सीसीएल ही जानती है।

यहाँ गैर मजुरवा ज़मीन की बड़ी समस्या है

1909 में जमीन का कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था। उसमें जो दर्ज की गई थी वह टेनेन्सी लैण्ड या रैयती ज़मीन है। इसके बाद जो ज़मीन मंजूर हुई या किसी ने जोत कोड़ कर बनाई लेकिन जिसके कोई कागज़ात नहीं है वह ज़मीन है गैरमजुरवा। गैर मजुरवा ज़मीन की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है। यह वो ज़मीन है जिसकी कोई सरकारी मंजूरी या किसी किस्म के काग़ज़ात नहीं है लेकिन अधिकतर गाँववाले इसी से अपना जीवनयापन करते हैं। इसके लिए हमारी विस्थापित संघर्ष समिति आंदोलन भी कर रही है।

हमने सीसीएल का सड़क डाइवर्ज़न का काम रोका हुआ है। हमारा मकसद यही है कि हमारी गैर मजुरवा ज़मीन को **सरकार** मान्यता दे ताकि हमें उसका भी मूल्य मुआवज़ा

मिल सके। जब हमने सीसीएल के काम कर रोक लगाई तो बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया। अंचल के सीओ, रामगढ़ अनुमण्डल के पदाधिकारी, हजारीबाग के एसी, पीओ, एसडीओ, और सीजीएम, सीसीएल के ऑफिसर, इत्यादि सब गाँव के रैयतों से बैठक करने आ गए। हम लोग ने कह दिया कि हमारी गैर मजुरवा खास ज़मीन में से कुछ की बंदोबस्ती है और कुछ की नहीं। हम लोगों को इसका मालिकाना हक मिलना चाहिए वरना हम काम रोके रखेंगे और आंदोलन करेंगे। चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, चाहे जान देनी पड़े।

यह बात 10 जनवरी 2000 की है। सब अधिकारी भी बंदोबस्ती करने को मान गए। बैठक होने के बाद जब जमीन का सर्वे किया गया, नापी ली गई तो पता लगा कि गैर मजुरवा खास तो बहुत ज़मीन है - 200-250 एकड़ गैर मजुरवा है। कब से किसान इसे जोत कोड़ रहे हैं लेकिन अशिक्षा के कारण न कोई रसीद कागज़ात लिया और न ही कोई बंदोबस्ती करवाई। इसके बाद भी हमने बहुत कोशिश की लेकिन ज़मीन के कागज़ात सब अंचल में ही दब के रह गए। सब अधिकारियों ने हमसे कहा था कि सब हो जाएगा आप लोग काम न रोकिए। लेकिन हमने अभी तक काम रोके रखा है क्योंकि हम जानते हैं कि वह सिर्फ झूठा आश्वासन था। सर्वे हुआ, नक्शा बना, कागज़ात भी छंटे, इसके चलते हम लोग बहुत दूर गए। पटना तक गए, भू राजस्व मंत्री से भी मिले। उन्होने भी आश्वासन दिया। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बस हम भी प्रतीक्षा में हैं और तब तक अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं।

विस्थापन समाज के लिए कैंसर है

सीसीएल ने हमारी ज़मीन ले ली है और अब हम लोगों को यहाँ से हटाना चाहती है। लेकिन हम लोग विस्थापित नहीं होना चाहते। विस्थापना एक कैंसर जैसी बीमारी है जो समाज को तोड़ मरोड़ कर रख देती है। जो लोग पहले विस्थापित हो चुके हैं उन्हें देख कर लगता है कि विस्थापना कितना बड़ा गुनाह है। उनको किसी चीज की सुविधा नहीं है। खेती तो उनकी चली गई। जहाँ जाते हैं वहाँ जो रोज़गार की स्थिति है उसे झेलना ही पड़ता है।

स्कूल, चिकित्सा कोई चीज नहीं है। बस सीसीएल की नौकरी कितने दिन चलेगी ? बच्चों के भविष्य का क्या होगा ? लेकिन सरकार दबाव देती है। पुलिस फोर्स बुलवा कर, मैजिस्ट्रेट बैठा के ज़बरदस्ती घरों को बुलडोज करवा देती है - जैसा कि परेज में हुआ। वहाँ के रैयतों के मकान धांस दिये और उनको मजबूरन विस्थापना स्थल पर जाना पड़ा ।

यहाँ जब तक खदान है तब तक रोज़गार देना, सुविधाएँ उपलब्ध करना सीसीएल और सरकार की ज़िम्मेदारी है। राष्ट्र को विकसित करने के लिए हमारी ज़मीन को ले लिया जा रहा है। राष्ट्र में हम भी आते हैं, हमारे लोग भी आते हैं। हर कोई प्रगति चाहता है और जब तक सब का भला नहीं होगा राष्ट्र का भला कैसे होगा ? जब तक हम लोगों का भी विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का भी विकास नहीं माना जा सकता है।

साक्षात्कार - 17

नाम : सोमर सोरेन
आयु : 70 वर्ष
स्थान : मौजा पोटंगा , रास्का टोला
भेंटकर्ता : कामिल सोरेन

सोमर सोरेन का घर दक्षिण उरीमारी खदान से लगभग 200 मीटर दूर है। लेकिन यहाँ के निवासियों का अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है। सोमर यहाँ अपने 2 बेटों के साथ रहते हैं। एक लड़का नौकरी करता है और एक कॉलेज तक पढ़ा होने के बावजूद बेरोज़गार है। सोमर स्वार्थ से परे, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। साथ ही यह राजनीति में सक्रिय भाग लेने वाले, समाज के प्रति काफी जागरूक इंसान हैं। यह अपनी भावनाओं व विचारों को प्रसारित करने के लिए उत्सुक हैं और चाहते हैं कि वह लोगों में जाने जाएँ। इनकी हार्दिक इच्छा है कि खदान के आने से कोलियरी क्षेत्र के निवासियों का सही ढंग से विकास भी हो और पारंपरिक समाज व्यवस्था व संस्कृति सुरक्षित भी रहे।

1980 में जब से इस क्षेत्र में खदान खुलने की बात शुरू हुई, हम लोग तब से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारी बातों को हम लोग उस समय समझ नहीं पाए इसलिए ठगे गए। जिन जिन की जगह ज़मीन चली गई वे तो कहीं के नहीं रहे और बाहर के लोग आज यहाँ के मालिक बन के बैठे हैं। हम लोगों को अभी तक पुनर्वास भी नहीं मिला है । शुरू शुरू में सीसीएल ने वादा किया था कि हम लोग को आदर्श गाँव बना कर देगी जिस में सारी सुविधा होंगी। स्कूल, खेल-कूद का मैदान, पानी बिजली, बढ़िया घर, वगैरह। अब 1982 से 2001 हो गया है और फिर भी हमें कुछ नहीं मिला है। न आदर्श गाँव और न अतिरिक्त ज़मीन के बदले में कोई नौकरी। इसलिए हम लोग केस लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

अब कोलियरी आ गई तो कहते हैं कि गैरमजुरवा ज़मीन है

सर्वे सेटलमेन्ट की नापी मेरे आज्जा के समय में हुई थी। 2-3 एकड़ या 10-12 एकड, जो कोई जितना करा सका सर्वे हुआ। फिर पुराने लोगों ने इस ज़मीन को कोड़ा, खेती के लायक बनाया, जंगल -झाड़ी को साफ किया, फिर ज़मीन को जोत आबाद कर के उसकी पैदावार खाई। उस समय कोई किसी को कुछ नहीं कहता था। अब यहाँ कोलियरी खुल गई तो कहते हैं ये जमीन गैर मजुरवा ज़मीन है। गैर मजुरवा कैसे हो सकती है ? जब अंग्रेज़ लोग थे तभी से लिखा है बिना इजाज़त भी जो ज़मीन को कोड़ कर जोत आबाद करता है उसका हक बनता है। इस प्रकार सब लिखित रूप में है। लेकिन ये जो साहिब सूबा है यह ऊपर से नीचे तक सब घूसखोर हैं, सब दलाल हैं। यह तो गरीब पिछड़े संथाल आदिवासिंयों की ज़मीन है। गैरमजुरवा और सर्वे सेटलमेंट ज़मीन के लिए, जिसका हमको पैसा नहीं मिला है, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। हम लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी है। चूँकि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है इसलिए हम लोग और आगे लड़ेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं। ऊपर से नीचे तक सब चोर हैं इसलिए कोई सुनवाई नहीं है। फिर भी लड़ाई जारी है, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। जब छोटा नागपुर के आदिवासियों को फैसिलिटी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं ? हम भी झारखण्ड के आदिवासी हैं। सच्चे झारखण्डी हैं। छोटा नागपुर और संथाल परगना में ब्रिटिश समय से ही झारखण्ड अलग करने के लिए आंदोलन हो रहा है। सिद्धू कानू, बिरसा मुण्डा, चान्द भैरव, तिलका मांझी ने झारखण्ड अलग करने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। उनका कहना था कि ज़मीन भी हमारी है, जंगल-पहाड़ भी हमारे हैं, देवता भी हमारे ही हैं। यह सब हम क्यों देंगे ? आज रैयती और गैरमजुरवा ज़मीन दोनों ही जा रही हैं। पदाधिकारी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है जबकि इसी से लोगों की जीविका चलती है। इससे हमें कैसा लगता है यह हम ही जानते हैं।

विकास की योजना बहुत हैं लेकिन हम लोग बढ़ नहीं पाते हैं

हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हमारे पास पोखर, नहर, रोड, बिजली कुछ भी नहीं

है। फिर भी कहते हैं कि झारखण्ड राज्य में बहुत संपत्ति है। जब हम लोगों ने यहाँ कोलियरी को खुलने दिया तो बहुत आशा लगा कर खुलने दिया। झरिया, धनबाद में मैंने देखा कि खदान खुलने से लोग भूखे नहीं रहते। ज़मीन तो जाती है लेकिन नौकरी मिलने से, लोकल सेल चलने से सबकी रोज़ी रोटी अच्छे से चलती है। यही आशा हमने भी की थी।

नौकरी मिलने की आशा से कोलियरी भी खुलने दी और ज़मीन की मोहमाया भी नहीं की। लेकिन हम संथाल सब हड़िया दारू पी कर बर्बाद हो गए हैं। एक दूसरे का हाल देख कर भी सुधर नहीं रहे हैं। जिनको नौकरी है उन्हीं के घरों में दारू बनती है और जब तक वे पी पी कर अपना सत्यानाश नहीं कर लेते उसी में रहते हैं। पहले लोग कहीं रिश्ता जोड़ने जाते थे तो देखते थे कि खेती बाड़ी, बैल मवेशी हैं कि नहीं। अब पूछते हैं कि नौकरी है कि नहीं। कोलियरी सब जगह नहीं खुली है। जगह ज़मीन अभी बाकी है लेकिन वहाँ पर भी नहीं जोतते हैं। इसलिए कमजोरी हम ही लोगों की है। पहले भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। हम लोग हड़िया दारू में ही रह गए हैं तो फायदा कैसे होगा ?

जब ये हाल देखता हूँ तो आशा खत्म होने लगती है। मैं बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़ोर देता हूँ। कोलियरी खुलने से यहाँ फायदा भी हुआ है। काफी परिवर्तन भी आया है। जब खदान खुली तब मैने एक स्कूल खोला। कई लड़के उसमें पढ़े और बाद में कॉलिज तक भी गए। वे लोग अभी तक हड़िया दारू में नहीं डूबे हैं। मैं तो माँ-बापों को भी कहता हूँ कि तुम लोग अगर शराब में डूबे रहोगे तो बच्चों को क्या शिक्षा दोगे ? सब कुछ देख कर चलोगे तभी तो संथाल लोग आगे बढ़ पाएँगे। तो कोलियरी के आने से विकास की योजना तो बहुत हैं लेकिन हम लोग ही नहीं बढ़ पाते हैं।

सरकार ने हमें बहुत अंधकार में रखा है

आर्टिकल 943 में लिखा है कि अगर कोई आदमी बूढ़ा हो गया है और उसको रिटायर होने में 2-3 साल रह गए हैं तो वह अर्ज़ी दे सकता है कि उसकी नौकरी उसके लड़के को दे दी जाए। कोई न कोई बीमारी - टीबी, लकवा, दमा, आदि कुछ न कुछ कारण

उसको दिखाना होगा। मगर उसके बदले उसके बच्चों को नौकरी मिलने का प्रावधान है। आर्टिकल 942 में है कि अगर कोई आदमी नौकरी करते करते अस्पताल में या कार्यस्थल पर या किसी दुर्घटना में मर जाए तो उसके बच्चों को नौकरी मिल सकती है। लेकिन सरकार ने सब नियम बदल दिए हैं। नौकरी नहीं देंगे खाली मुआवज़े में रुपया देंगे। ऐसे कैसे चल सकता है ?

इतनी उम्र हो गई है हमने कभी नमक का दाम बढ़ते नहीं देखा था। आज वह भी देख रहे हैं। हर चीज मंहगी हो गई है। खेती गृहस्थी करने वाले भी अब ढील कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं हैं। सरकार ने हमको बहुत अंधेरे में रखा है। इतनी मुश्किल से हमें सच्चा झारखण्ड राज्य मिला है जो इतनी संपत्ति से भरपूर है। हमारे छोटा नागपुर-संथाल परगना में ही इतनी बिजली पैदा होती है और फिर भी हम लोग पहले जैसे ही हैं। हमारे पुरखे भी दीये के उजाले में जीते थे, हम अब भी वैसे ही रहते हैं। इसलिए हमने झारखण्ड विकास पार्टी बनाई है जिसका हम प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि कोलियरी वाले इलाकों में जिन जिन को नौकरी नहीं मिली है उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे ताकि हम अपनी ज़मीनों को जोत आबाद रखें। तब फिर बाकी राज्यों को बिजली-पानी बेचने का सोचना चाहिए। पहले अपना घर संभालो, फिर किसी और को देखो।

यह खदान की लड़ाई इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी। नॉर्थ और साउथ में 900 एकड़ ज़मीन जा रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। न किसी को उसके लिए मुआवज़ा मिला है और न ही किसी को नौकरी मिली है। हम लोगो को बुड़बक बनाने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं। दबाने की कोशिश करते हैं। और हमारे आदमी ऐसे हैं कि बस थोड़ी दारू देने से फौरन सहयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। जब से लोकल सेल खुला है तब से यहाँ काफी रुपया पैसा आने लगा है। जिनके पास नौकरी है वो भी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने में, अपने आप को बेहतर बनाने में किसी का ध्यान नहीं है। सब लोग हड़िया दारू मे नाश हो रहे हैं।

सीसीएल हम लोगों को एक साथ नहीं बसने देना चाहती

हम लोगों ने बातचीत कर ली है कि सीसीएल अगर हम लोगों को विस्थापित करेगी तो फिर एक ही जगह बसाएगी। रास्का टोला और भुरकुण्डा एक ही हैं। हम लोग ने कोलियरी क्षेत्र से बाहर की जगह देख ली है और सीसीएल से बातचीत भी हो गई है। अगर हम सीसीएल के क्षेत्र से बाहर बसेंगे तो वो हमको घर बनाने के लिए 50,000 रु और समान ढोने के लिए 7000 रु देगी। हम सोचते हैं कि अगर हम सीसीएल के क्षेत्र के अंदर रहेंगे तो वो हमको जब उनका मन करेगा तभी भगा देगी। बाहर रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा।

सीसीएल हम सबको तोड़ कर अलग अलग बसाना चाहती है। क्योंकि वो जानती है कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम सब एक ही बात करेंगे। वो हमारी मैजोरिटी नहीं होने देना चाहती। एक तो हमें पहले ही कमज़ोर कर दिया है। अब हम यहाँ वहाँ बिखर कर और कमज़ोर नहीं होना चाहते। इसीलिए जहाँ जाएँगे एक ही साथ जाएँगे।

वैसे भी हमारी संस्कृति बिखरती जा रही है। सरहुल, सोहराय और करमा हमारे ख़ास त्योहार हैं। लेकिन आजकल ठीक से त्योहार मनाना छोड़ दिया है। हमारी जो संस्कृति है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। न सरहुल के बारे में जानते हैं न सोहराय का भेद जानते हैं। आदमी सब बंट गए हैं। अगर एक साथ रहते तो बड़े बूढ़े सब लड़के बच्चों को हर बात बताते। लेकिन आजकल टीवी और रेडियो सुन कर हम अपनी संस्कृति सब खोए दे रहे हैं। अपना जो नियम था उसको करते नहीं हैं। पूजा पाठ भी छोड़ दिया है। हम तो बस एक गड्ढे में गिर रहे हैं। भूत प्रेत, देवी देवताओं पर ही तो इतनी बड़ी दुनिया टिकी हुई है। जहाँ जंगल झाड़ हैं वहाँ हमारे सच्चे देवता भी हैं। शहर टाँड में नहीं हैं। पर अब सब खत्म हो रहा है तो हम देवी देवता को भी नहीं मान रहे हैं। हमारी प्रकृति पूजा है पर जब प्रकृति ही नहीं बचेगी तो पूजा कैसे होगी?

जब से कोलियरी खुली और बाहर के लोग आए तब से हम पर बहुत असर पड़ा है। उन लोगों का अपना रास्ता है। उनके पण्डित पुजारी पूजा करते हैं। लेकिन देखिए मंदिर

में प्रवचन हो रहा है और हमारे संथाल लोग भी सुनने चले गए हैं। अपनी चीज छोड़ दी और वहाँ चले गए। लेकिन असली तो अपनी चीज है। कोलियरी के आने से सबसे बड़ा नुकसान यही हो रहा है कि हम अपनी पहचान खो रहे हैं।

पहले सेन्द्रा कोर्ट कचहरी करने जैसा ही था

जब सेन्द्रा खेलने जाते हैं तो जानवर तो मारते हैं ही, साथ में पंचायती भी करते हैं। जंगल का जो महतो मालिक रहता है सब उसी के ज़िम्मे होता है। जैसे किसी गाँव के लड़के लड़की की बात, दोनों गाँव का महतो मालिक झगड़ रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, ऐंठन ही रहता है। नियम कानून नहीं मान रहे हैं। तो शिकार खेलते समय इसको लोकितावीर नाम के कानून में चढ़ाते हैं। जो बात साधारण रूप से नहीं सुधर रही उसको हम लोग कितालोर में चढ़ाते हैं। अगर लोकितावीर में भी नहीं मानता तो फिर अपराधी को खूब मारते हैं। जो कानून अपने पुरखों से सुनते आए हैं, लोकितावीर में वही नियम चलते हैं। उसी के अनुसार फैसला सुनाते हैं और अगर फिर भी नहीं मानता है तो वहीं उसके लिए नगाड़ा पिटवा कर उसे जात से अलग करवा देते हैं।

हम लोग जो भी फैसला कर लेते हैं उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर हम लोकितावीर में किसी को मार कर भी फेंक दें तो भी सरकार कुछ नहीं कर सकती। डॉ अम्बेदकर ने संविधान में लिखा था कि पहले मामला गाँव के महतो मालिक से, नहीं मानते तो आसपास के गाँव के महतो मालिक से, और तब भी नहीं तो फिर परगानाइत, गोडाइत से सुलझाना चाहिए। जब इस प्रकार से रहते थे तभी गाँव भी सही प्रकार से चलता था। अब तो हम लालच के चलते थाना दरोगा के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन बाघ के मुँह में माँस दोगे तो वह छोड़ेगा क्या ? हमने अपनी मूल सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल छोड़ दी है। पुरखों के नियमों को धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं। न तो हमारा शिकार खेलना ही बचा है और न ही शिकार के दौरान लोकितावीर।

सोमर सोरेन - 70 वर्ष - रास्का टोला, मौजा पोटंगा

साक्षात्कार - 18

नाम : चारो हेम्ब्रोम
आयु : 25 वर्ष
स्थान : पिण्डरा (परेज)
भेंटकर्ता : बार्नाबास टुडू

चारो हेम्ब्रोम बचपन में ही अनाथ हो गये थे। यह अपनी पत्नी व बच्चों सहित पिण्डरा में रहते हैं। इनके 5 लड़कियाँ और 1 लड़का है जिन्हें यह माली हालत ठीक न होने के कारण स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अपनी जीविका चलाने के लिए यह ठेकेदारी का काम करते हैं। यह काफी समय से पिण्डरा में ही रहते हैं। जब आस पास के इलाके में खदान का काम शुरू हुआ तो काफी लोग इधर उधर से आ के पिण्डरा में बस गए। फिर सीसीएल ने यहाँ पर पुनर्वास कॉलोनी निर्मित कर ली जिसके लिए बिना इनकी मंजूरी लिए या इन्हें कोई मुआवज़ा दिए, इनकी जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया।

अरे हम लोग हैं सभी भाई बहन-2
बोतल बोतल मुझे पिला दे रे- 2
अरे हम लोग सब भाई बहन बरबाद हो गए रे-2
ढलते सूरज की तरह हम भी डूब गए...

हमारे माँ-बाप आज्जा-आज्जी यहाँ पिण्डरा में रहते थे। पहले मेरे आज्जा की मृत्यु हो गई। फिर हमारी माँ की। रह गई बूढ़ी आज्जी, पिताजी और हम बच्चे। तो हमारी आज्जी का मायका बेड़वाटोला, दुरू में था। वह वहाँ हमको ले कर चली गई। मेरे पिताजी बेड़वाटोला और पिण्डरा के बीच आते जाते रहते थे क्योंकि हमारी जगह ज़मीन इधर ही

है। वह यहाँ खेती-बाड़ी करते थे। फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। हमको हमारी आर्ज्जी ने ही पाला पोसा। जब थोडे बड़े हुए तो आर्ज्जी भी स्वर्ग सिधार गई। बस तब से अकेले ही हैं।

हम संथालों में दहेज की बात नहीं चलती है

हमारी शादी 1989 में हुई थी। माँ बाप तो थे नहीं। चाचा-फूफा वगैरह ने ही सब रस्म पुराई। हम लोगों में पहले सगुन होता है। दो तीन आदमी जाते हैं लड़की को देखने फिर उनकी तरफ से लड़का देखने आते हैं। तो निर्णय हो जाता है कि लड़का लड़की जमेंगे कि नहीं। फिर एक अगुआदार होता है, वह लड़के के घर की रिपोर्ट लड़की वालों को देता है और लड़की के घर की रिपोर्ट लड़के वालों को देता है। दोनों तरफ का अच्छी तरह बूझ लेता है। फिर अगर बात बन जाती है तो फिर पहनावे की रस्म होती है। मान लीजिए लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं। वहाँ उनका स्वागत होता है, एक दूसरे की कुशल मंगल पूछी जाती है। फिर लड़की को बुला कर सबके बीच बिठाया जाता है, फिर लड़के वाले जो भी लाए होते हैं, उसको पहना देते हैं। जैसे पीतल की हंसुली है, तो लड़की के पैर से 3 बार छुआ कर उसके गले में पहना देते हैं। ऐसे ही लड़के का पहनावा भी किया जाता है। धोती, कमीज और गमछा दिया जाता है। नहीं तो कोई अपनी खुशी से घड़ी भी दे देते हैं, बाजा भी देते हैं। हम संथालों में दहेज की बात बिलकुल नहीं चलती है। पहनावे के बाद सारे कुटुम्ब को अच्छी तरह दाल-भात, सब्जी, माँस बढ़िया से खिलाते हैं। हम लोग में नाच-गाना संगीत, इत्यादि नहीं होता है।

इसके बाद जब शादी का समय आता है तो हम लोग लगन बांधते हैं। यह एक धागा होता है जिस के साथ हल्दी, अरवा चावल और हरी धोबी घास रख कर गांठ बांधी जाती है। पहला लगन बाँधने की शुरुआत हमेशा कोई कुँवारा लड़का ही करता है। लगन में हमेशा 3 या 5 गाँठें ही बाँधी जाती है 1, 2, या 4 गाँठ नहीं बंध सकतीं। गाँठों से पता चलता है कि मड़वा 3 दिन में बनेगा या 5 दिन में बनेगा। फिर उतने दिन में मड़वा बन कर बारात जानी चाहिए। फिर जोगवा हाड़ाम लगन घर-घर पर बाँटता जाता है और बताता जाता है कि मड़वा कब बनेगा।

फिर मड़वा बनाने के समय हम लोग 9 खूंटा गाड़ते हैं। इसमें कम से कम 3 किस्म के पेड़ों के खूंटे चाहिएँ। जैसे एक डाउठा का, एक केन्द का और एक महुआ का। महुआ का खूंटा हम लोग बीच में गाड़ते हैं और उसी में पिण्डा बनता है। महुआ हमारे लिए माँ के समान है क्योंकि यह हमें दूध और फल दोनों देता है। इसीलिए इसको बीच में लगाते हैं। बाकी खूंट कई प्रकार की लकड़ी से बनते हैं, केंद, भेलवा, सखुआ, डाउठा, इत्यादि। फिर खूँटों में जो शाखाएँ रहती हैं उन्हें पत्ते सहित 9 खूँटों के ऊपर लाद देते हैं। इसे कहते हैं पढ़। यह छाया हो जाती है। फिर इसी में जैसे मन आए फूल पत्ती सजा लेते हैं।

इसके बाद रात को बारात चलती है और सुबह पहुँचती है। लड़की के गाँव-घर वाले सब अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद चीरमुण्दली की रस्म होती है। संथालों में महिला लोग बारात में नहीं जातीं। सिर्फ पुरुष जाते हैं। तो चीरमुण्दली के समय जो लड़की होगी वह एक लोटा पानी ले कर एक अच्छी सी चटाई पर बैठ जाती है। फिर लड़के का बाप उसको जो भी गहने हैं, जैसे हँसुलि, सिक्करी माला या सकोम, अपनी पुतोहू को पहना देगा। फिर गाँव का महतो और फिर गाँव के अन्य लोग अपनी अपनी खुशी अनुसार उसको साड़ी, साया, कोई पोशाक, या 5रु ,10 रु देते जाएँगे। फिर वह उठ कर एक एक को जोहार करेगी। यही चीरमुण्दली होती है।

उसके बाद जो अगुआदार होता है वह एक बड़ी सी टोकरी, जिसको डालिक कहते हैं, लाता है और वधू के देवर लगने वाले 5 लड़के अंदर जा कर जबरन लड़की को उस डालिक में चढ़ा कर अपने कँधे पर बिठा कर लाते हैं। उधर लड़के का फूफा या बहनोई, जिसको इस रस्म के दौरान बाबड़े कहा जाता है, लड़के को अपने कंधे पर बैठा लाता है। फिर लड़के का पिता एक लोटे में पानी लेता है और आम के पत्ते से तीन बार सब पर छिड़क कर सब को पवित्र करता है। फिर तीन बार सिंदूर जमीन पर छिड़का जाता है और उसके बाद लड़की के माथे पर लगा दिया जाता है। बस शादी हो जाती है। फिर बढ़िया से खान पान के बाद लड़की को विदा कर के घर ले जाते हैं। लड़की के रिश्तेदार जो उसके साथ आते हैं, वे एक रात लड़के के घर रह कर आराम करते हैं फिर वापस चले जाते हैं।

जन्म-मरण के रीति रिवाज

किसी बच्चे के जन्म के छठे दिन छठिहार मनाते हैं। उस दिन रविदास जाति के लोग आते हैं। वही लोग आ कर बच्चे को नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब साफ सुथरा करते हैं। करना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन जिनकी मजबूरी हो वह तीन दिन में, दो दिन में ही छठी मना लेते हैं। क्योंकि जच्चा छठी के बाद ही काम कर सकती है। अब जिनके घर में खाना बनाने वाली, बर्तन साफ करने वाली कोई और नहीं है वह जल्दी छठी मना कर जच्चा से काम लेने लगते हैं। वैसे बच्चा जल्दी पैदा करने के लिए एक जंगली दवाई भी है। एक चिकना मुलायम बरियार का पेड़ है, उसकी जड़। इसे गर्भवती महिला के सिर की तरफ रख देने से बच्चा जल्दी और आसानी से पैदा हो जाता है। बच्चे के पैदा होते ही इसको फौरन फेंक देना होता है।

मरण में भी पूरा रीति रिवाज होता है। जैसे कोई आदमी मर गया। तो सब लोग जुट जाते हैं। फिर जहाँ जहाँ उसके कुटुम्ब-गोतिया रहते हैं वहाँ खबर की जाती है। फिर समय

घर का मालिक खबर नही करता

मान लीजिए किसी की माँ रात में मर गई। तो सवेरे एक मुख्य आदमी को 'परगहिया' बना दिया जाएगा। उसी के घर शव रखा जाएगा। उसका काम है घर-घर जा कर खबर करना कि फलाने की माँ मर गई, लकड़ी देने के लिये जुट जाओ। फिर फूँकने के बाद जहाँ-जहाँ मरने वाले के नाते रिश्तेदार हैं वहाँ वहाँ भी खबर पहुँचाना कि भाई इस दिन कर्म क्रिया है सब लोग जुट जाना। फिर उस दिन खाना बनाना और नाते रिश्तेदारों को खाना खिलाना भी वही करता है। ऐसा शुरू से नियम है। शादी-विवाह में इसी प्रकार और मरण-हरन में इसी प्रकार। परगहिया ही सब जगह न्योता हंकारी करता है, घर का मालिक नहीं करते हैं।

बलदेव गंझू - 50 वर्ष - हड़गड़ी टोला

से उसको मिट्टी देने के लिए जंगल ले जाया जाता है। फिर वापस आते समय मरने वाले के बेटे या करीबी रिश्तेदार का ठाकुर सिर मूंड देता है। बाकी गाँव वालों का भी नाखून पानी करता है और फिर नहा धो कर सब घर आते हैं। फिर उसका क्रिया कर्म किया जाता है। हिन्दू लोग तो ग्यारहवें या तेरहवें दिन करते हैं। बाकी अपनी ताकत के अनुसार महीना, साल भर, जब कर सकते हैं, करते हैं।

सीसीएल ने हमारा हक मार लिया है

हम यहाँ 10-12 साल से खेती कर रहे हैं। हमारी गैरमजुरवा ज़मीन है 5 एकड़ 25 डीमी और रैयती खतियान ज़मीन बनती है 1 एकड़ 84 डीमी। इस ज़मीन पर यह हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है। बीच मे 10-15 साल हम बेड़वाटोला में रहे, फिर जब कुछ ज्ञान हो गया तो यहाँ पिण्डरा में अपनी ज़मीन जोतने कोड़ने लगे। जब सीसीएल ने हमारी ज़मीन अधिग्रहण की तब हम वहाँ बेड़वाटोला में थे और हमें पता नहीं चला। हमको किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। हमने तो उसके बाद यहाँ आ कर अपना घर बनाया। एक दिन देखा कि हमारी ज़मीन पर सीसीएल रोड बनाने लगी, क्वार्टर के निशान बनाने लगी। तो हमने तो उनका काम रोक दिया और अभी तक भी अपनी ज़मीन में कुछ छूने नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। परेज में खदान खुलने से जो लोग वहाँ से विस्थापित हुए हैं, सीसीएल उनके लिए यहाँ पुनर्वास कॉलोनी बना रही है। क्वार्टरों की बाउण्डरी भी बन गई है। स्कूल भी बन गया है। ज़मीन तो बाकी लोगों की भी गई है लेकिन उन लोगों को पैसा तो मिला है, नौकरी भले ही न मिली हो। हमको तो न पैसा मिला है और न नौकरी। हमारा हक किसी और ने मार लिया है। किसी ने हमारे एक खाते का पैसा भी ले लिया है और नौकरी भी। लेकिन इधर पिण्डरा का एक खाता अभी हमारे पास ही है। उसके लिए भी अभी दौड़ धूप करनी है। रसीद कटवानी है। असल में गाँव में एकमत एक बात से नहीं चलते हैं। कोई बाहरिया लोगों के पक्ष में बोलते हैं, कोई तो सीसीएल की तरफ से बोलते हैं। सब इधर उधर हो जाते हैं इसलिए लुटपिट जाते हैं और इसी के चलते सीसीएल सब हड़प कर हमारा हक मार लेती है।

साक्षात्कार - 19

नाम : सद्धन प्रजापति
आयु : 50 वर्ष
स्थान : बेंती
भेंटकर्ता : दीपक कुमार दास

सद्धन प्रजापति जाति से कुम्हार हैं किंतु यह एक पान की दुकान चलाते हैं। यह बेंती में ही पैदा हुए और यहीं अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी व बच्चों के साथ निवास करते हैं। इनके 2 लड़के तथा 4 लड़कियाँ हैं। सीसीएल ने बेंती गाँव से जमीन अधिग्रहण तो कर ली है लेकिन यहाँ के निवासियों ने यहाँ से कहीं भी और जाने से इन्कार कर दिया है। परिणामस्वरुप यहाँ के लोग खदान से 200-400 मीटर की दूरी पर ही बसे हुए हैं। हर तरफ धुआँ, गर्द और मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। सद्धन महसूस करते हैं कि यह गड़गड़ाहट संदेश देती है कि अब हल का युग बीत गया और डोज़रों का समय आ गया है। लेकिन सब तरह के कष्ट सहने के बावजूद सद्धन एक हँसमुख, सरल, सात्विक प्रकृति के आदमी हैं जो अपने लोगों की हर प्रकार से मदद करने को तत्पर हैं। यह गहरी विचार क्षमता रखते हैं और समाज में आए बदलावों का सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं।

यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं। बनिए, कुम्हार, पासवान हैं। भुईंया भी काफी हैं और गंझू तो बहुत मात्रा में हैं। सीसीएल के आने से पहले हमारे गाँव में खूब जंगल और खेत थे। हम सभी खेतीबाड़ी किया करते थे और वही नाज, दलहन, तिलहन वगैरह उपजा कर अच्छे से खाते पीते थे। सबका एक दूसरे के साथ अच्छा संबध व्यवहार था, चाहे कोई किसी भी जाति का क्यों न हो। हम सब मिलजुल कर विचार-विमर्श, जन्म-मरण, रहन-सहन, पर्व-त्योहार में भाग लिया करते थे।

अगर कहीं कोई लड़ाई-झगड़ा होता तो उसका फैसला पंचायत में होता था। जो मुखिया होता था वही झगड़े-झंझट या पर्व-त्योहारों के मुद्दों पर नेतृत्व करता था। पंचायत का राय-विचार, जायज़ नाजायज़ देख कर के फैसला लिया जाता था जिसे सब लोग मानते भी थे।

तब हम लोग खुशहाल थे। अपनी खेतीबाड़ी करते थे। समाज समाज जैसा लगता था। तब लोग अपनी कम कमाई में ही संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन आज जितनी भी कमाई कर लो, आवश्यकताएँ उससे भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। जीवन में पैसे का स्थान बहुत अहम् हो गया है। किसी भी चीज के लिए दिली खुशी नहीं है। बस एक दूसरे से ईर्ष्या और डाह रह गया है। जीवन में उदासीनता बढ़ती जा रही है और निराशा भर गई है। कोई आनंद नहीं रह गया है। जीवन का रस खत्म सा लगता है और इसके लिए सीसीएल ही ज़िम्मेदार है। हमारी ज़मीन जंगल सब उजड़ गया और हमारे दैनिक संसाधन सब खत्म होते जा रहे हैं। अब खाने से ले कर पहनने तक हम दूसरों पर आश्रित हैं और इसलिए रुपये की कीमत भी बढ़ गई है। हम लोग समय से पहले ही मरने लगे हैं। जंगल उजड़ना, ज़मीन उजड़ना, आगे हमारी सब पहचान मिटने की संभावना लग रही है। जो चार पैसा कमाता है उसका दिमाग ही बदल जाता है।

हमारे बनाए मिट्टी के बर्तन नए ज़माने में कहाँ बिकेंगे ?

हमारे बाप दादा का मुख्य काम मिट्टी के बर्तन बनाना था। खेती बाड़ी भी करते थे लेकिन खाली खेती से साल भर नहीं चलता था। इसलिए मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुम्हारी काम करते थे। उनका बनाया हुआ खपड़ा सारा गाँव में बिकता थे। हम लोग गाँव देहातों में घूम घूम कर बर्तन वगैरह बेचा करते थे और बदले में जो पैसा, धान,आलू मिलता था उससे गुजारा चलाते थे।

हमारे गाँव में जो लाल मिट्टी है हम उसी से बरतन बनाते थे। मिट्टी को कोड़ कर सारे परिवार के सदस्य उस में पानी डालते थे और मिलाते थे। फिर उस गीली मिट्टी को

पैरों से लतियाते थे। फिर उसे खूब अच्छी तरह से गूँध कर लोया बनाते थे। फिर दोपहर में उस मिट्टी को लकड़ी के चाक पर लाया जाता था। अगर कारीगर जानकार है तो बर्तन, खपड़ा के साथ साथ खिलौने और सजावट का समान भी बना लेता था।

मिट्टी के बर्तनों में खाना बहुत स्वादिष्ट और मीठा बनता था। सब उन्हीं में पकाते थे। लेकिन अब हमारे बनाए मिट्टी के बरतन नए जमाने मे कहाँ बिकेंगे? हर तरफ स्टील एल्यूमिनियम का बर्तन छा गया है। खपड़ा की जगह एस्बेस्टॉस की चादर लगाते हैं लोग। छतों वाले पक्के मकान बनने लगे हैं। हमारे मिट्टी के बर्तन और खपड़ा कोई कैसे लेगा और क्यों लेगा?

ज़माना बदल गया, विचार बदल गए इसलिए हमें भी अपना खानदानी कुम्हारी का काम छोड़ कर पान की दुकान लगानी पड़ी। अपना काम छोड़ कर कोई सीसीएल में, रोड में काम करता है, कोई डम्प में काम करता है। दूसरे का काम कर के हम लूट के लाते है कूट के खाते हैं। दिल में बहुत अखरता है। जब अपना काम करते थे तब ही हमारा मूल्य था। उसी में संतोष था।

नौकरी करने वाले लोग किसानों को कुछ नहीं समझते

पहले जैसी खेती बाड़ी अब नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि मान लीजिए 100 लोगों में से 40 को नौकरी मिली है और 60 को नहीं। तो वो 40 जो नौकरी कर रहे हैं उनके मवेशी बाकी 60 की खेती बाड़ी में चर रहे हैं। नौकरी वाले लोग किसानों को कुछ समझते ही नहीं। कोई किसान का दर्द नहीं समझ रहा है। कुछ बोलने पर उल्टे फसल का नुकसान करते हैं तथा और भी ज़्यादा बर्बाद करने की धमकी देते हैं।

यह सब कोलियरी के आने से हुआ है। इसी के कारण लोग नौकरी कर के नकद पैसा कमाने लगे हैं जिसका घमण्ड हो गया है। जब खेती बाड़ी करते थे तब यह घमण्ड नहीं था। क्योंकि सभी मिल कर खेती करते थे। जितना हम लगाते थे उतना वो भी लगाता था। जैसा नफा नुकसान हमारा था वैसा उसका भी था। लेकिन अब किसी को खयाल नहीं है। अब लोग मवेशियों को आजाद छोड़ देते हैं। पहले झगड़ा हो भी जाए तो सुलझ जाता

था। अब तो सीधे मारकाट की धमकी देते हैं। ज्यादा कुछ कहो तो कर भी देते हैं। चिन्ता लगती है, इसलिए खेती बाड़ी करना बंद कर दिया है। कितना झगड़ा करेंगे? जमाना ही खराब है। मुँह बंद कर के रहना पड़ता है।

सीसीएल ने लालच दे कर हम में फूट डलवा दी

1986 में हमारे गाँव में नोटिस आया। नोटिस में सीसीएल ने एक बहुत बड़ी चाल खेली। किसी को 700 रु एकड़ मुआवज़ा लिखा, किसी को 1500 रु एकड़, किसी के नोटिस में 5000 रु एकड़, किसी के 7000 रु और किसी के 9000 रु एकड़ लिखा था। इस तरह से हमको अलग अलग लालच दे कर, किसी को रुपया, किसी को कागज़ दे कर हम में फूट डाल कर हमें तोड़ लिया।

शुरू शुरू में हमने सबने सामूहिक बैठक कर के निर्णय लिया कि जब तक सबको उचित मुआवज़ा नहीं मिलेगा तब तक कोई भी मुआवज़ा नहीं लेगा। मुखिया सरपंच ने भी यही कहा कि जब तक सही मुआवज़ा नहीं मिलेगा हम यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो हम कागज़ पत्र, लिखापढ़ी वाली लड़ाई लड़ने लगे। सीसीएल ने एक और चाल चल दी। अचानक हमारे गाँव को नोटिस भेज दिया कि 15 दिन के अंदर सब लोग अपना अपना मुआवज़ा ले लें वरना सारी रकम ट्रेज़ेरी कोष में जमा कर दी जाएगी। फिर कोष से मुआवज़ा निकालने में तो सत्रह दीया तेल जल जाएगा। हम लोग अभी विचार विमर्श कर ही रहे थे कि सीसीएल ने गाँव के कुछ पियक्कड़ शराबी आदमियों को फुसला लिया। इन लोगों के पास 22-23 एकड़ ज़मीन थी। सीसीएल ने इनको लालच दे कर अंगूठे लगवा लिए और ज़मीन ले ली। देखा देखी बाकी लोग भी कम मुआवज़े पर मान गए। सब मान गए तो हम भी मान गए।

लगभग 10-15 वर्ष पहले सीसीएल ने हमको विस्थापित करने के लिए 2-2 बार नोटिस दिया। हमसे कहा था कि हमको जोभिया झरना के पास जगह देंगे। हमने वहाँ जाने से मना कर दिया। फिर सीसीएल ने कुछ कहना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे खदान बिलकुल गाँव के अंदर की तरफ ही आ गई है। सीसीएल ने पुनर्वास नहीं दिया। सबने

आवाज़ उठाना बंद कर दिया है और सीसीएल भी चुपचाप अपना काम करती जा रही है। हमें यहाँ से उठाने की बात भी नहीं कर रही है। सोच रही है ये लोग अब खुद ही भाग जाएँगे। इस बेंती गाँव को न सीसीएल से कुछ मिल रहा है और न ही सरकार से। कोई साधन नहीं है और हम लोग बहुत ही तंगहाल हैं।

खदान के आने से पानी की बेहद समस्या हो गई है

पहले हमारा कुआँ होता था। पूरे गाँव में कुएँ से पानी पीते थे। कुछ झरना सोता होता था जिससे कि पानी की कमी पूरी हो जाती थी। हम खेती बाड़ी कुएँ के पानी से ही करते थे। जब सीसीएल आई तो कुछ दिन तो कुएँ में पानी रहा लेकिन जैसे ही खदान का लेवल कुएँ से नीचे गया सब पानी भी सूख गया। ब्लास्टिंग करने से सब पानी खदान की तरफ चला गया और हम प्यासे मरने लगे। तब हमने सीसीएल से बहुत लड़ाई की। उनके ऑफिस जा कर काम पर रोक लगाते थे। सड़क जाम करते थे। बहुत आंदोलन किया तब जा कर बोरिंग की और पम्प से टंकी में पानी दिया। सिर्फ बोलने से सीसीएल कुछ नही

पहले हम साबुन से कपड़े नहीं साफ करते थे।

हम लोग पहले समय में लकड़ी की जली राख से कपड़े साफ किया करते थे। किसी टीन में या मिट्टी के घड़े में पानी के साथ राख उबालते थे और फिर उसी से कपड़े धोते थे। इतने साफ कपड़े धुलते थे जैसे आज साबुन से नहीं धुलते। अगर किसी के घर शादी विवाह होता तो हम लोग वहीं लकड़ी की राख से कपड़े साफ सुथरा कर के पहनते थे। जोभिया झरने पर नहाने धोने की सुविधा थी। वहाँ हमेशा पानी रहता है। पहले हम साबुन से नहाते भी नहीं थे। वहीं जोभिया के किनारे एक काली चिकनी मिट्टी होती थी। उस मिट्टी से नहाने से शरीर इतना साफ और बाल इतने काले और घने होते थे कि अब का साबुन उसके सामने एकदम बेकार है।

झरनी देवी - 75 वर्ष - करमकटी, बेंती

सुनती है। जब तक जाम वगैरह करके या काम पर रोक लगा कर परेशान न किया जाए ये लोग हमारी किसी समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं।

ये सब देख कर हमारा दिल निराश हो जाता है। सोचते हैं कि पहले की स्थिति कितनी अच्छी थी। इसी पानी से हम खेती किया करते थे। आज बहुत बार ऐसा होता है कि पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। बिजली है तो पानी है और बिजली नहीं तो पानी भी नहीं मिलता। हमारे गाँव में बिजली भी नहीं दी है। हम लोग चुरा कर बिजली जलाते हैं। अगर पानी का पाइप या मशीन खराब हो जाए तो दो दिन तक पानी नहीं आता। प्यास से तड़पते रहिए।

जब गुस्से से परेशान हो जाते हैं तो जाकर ऑफिस में लड़ाई करते हैं। खदान बंद कर देते हैं। एक तो हमारी ज़मीन पर खदान खोल ली ऊपर से हमें पानी तक के लिए तरसाते हैं। जब तक खदान नहीं थी तब तक तो हम नहीं जाते थे किसी से पानी माँगने। जब इनकी खदान ने ही पानी खींच लिया तो इन्हीं से तो पानी माँगेंगे, और किससे माँगेंगे? सीसीएल ने हमें पानी का आश्वासन देते हुए 10-12 साल गुज़ार दिए हैं लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिए हैं, पानी की तो समस्या अभी तक वैसी की वैसी है।

सीसीएल ने आ कर सब लोगों को तोड़ कर, हमारी ज़मीन जंगल को कोड़-उजाड़ दिया है। हम खेती बाड़ी करने के लिए तरसते हैं। पूरे गाँव में, दूर दूर तक एक पेड़ भी नहीं दिखाई देता है। लगता है कि धूल-गर्द और कोयले के धुएँ में दम घुट जाएगा। सारे दिन सिर्फ गाड़ियों और मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है जिससे लगता है कि कान के पर्दे फट जाएँगे। इसी वजह से बीमारियाँ भी बढ़ गई हैं। पहले जो बीमारियाँ जड़ी-बूटी से ठीक हो जाती थीं वही अब बिना डॉक्टरी सुई दवाई के ठीक नहीं होतीं। यहाँ कोई डॉक्टर अस्पताल नहीं है। हम ये बात सीसीएल से कह कह कर थक चुके हैं। कितनी बार रास्ता जाम किया है, कितनी लड़ाई लड़ी है, फिर भी सीसीएल सिर्फ वादा करती है, देती कुछ नहीं है। यहाँ तो विद्यालय तक नहीं है और न ही सरकार इस बात पर कोई ध्यान देती है।

सीसीएल आने से सामाजिक व्यवस्था खराब हो गई है

खदानों के आने से हमारे पारिवारिक संबंधों में दूरी आ गई है। हम पहले भी लड़ते थे लेकिन वैसी लड़ाई तो छोटी मोटी सब परिवारों में होती है। खदान के आने से स्वार्थ की आग ने सब परिवारों को जला कर ख़ाक कर दिया है। जिस ज़मीन के बदले हमको नौकरी मिली, वह हमारी अपनी थी, उसमें भाई सब का अधिकार नहीं था। लेकिन नौकरी के लालच में हमारे भाईयों ने हमसे मारपीट तक कर दी। हमारे खानदान में कभी किसी ने बड़े भाई पर हाथ नहीं उठाया था लेकिन सीसीएल के कारण हमारे छोटे भाई ने यह मर्यादा भी तोड़ दी। खदान के आने से पहले हम तीनों भाई कितने मेल प्यार से रहते थे। अपना कमाते थे अपना खाते थे लेकिन मिल जुल कर रहते थे। अब लड़ाई के बाद हम भाईयों में आपस में वह विश्वास नहीं रह गया है।

सबमें प्रतियोगिता की भावना आ गई है। सब हम किसी से कम नहीं वाली बात सोचने लगे हैं। और समाज की, हमारी इस दशा के लिए सीसीएल जिम्मेदार है। तो हम लोग कोई भी दिल से खुश नहीं हैं लेकिन किस के पास जाकर रोइएगा, कितनी बार रोइएगा? जब तक जीवन है तब तक जीना है, इसलिए रौनक हो या न हो रौनक बनानी पड़ती है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है माहौल बदलता जा रहा है। हमको भी मजबूरन नए परिवेश में जीना सीखना पड़ा है। जो नहीं सीख सके हैं, मतलब परिस्थिति अनुसार अपने को नहीं ढाल सके हैं, वे दर-दर गली-गली मारे मारे फिर रहे हैं।

सबसे बड़ा परिवर्तन तो आज के बच्चों में दिखाई देता है। देख कर बहुत दुख भी लगता है और गुस्सा भी आता है। यह सब नए ज़माने की बाते हैं। बच्चों को कुछ भी बताने सिखाने की कोशिश करो तो एकदम उल्टा ले लेते हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए कोई इज़्ज़त ही नहीं रह गई है। लड़कियाँ भी कपड़े फैशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगी हैं। लड़का लोग बड़े बुजुर्गों के सामने ही शराब सिगरेट पीते हैं। किसी की बात नहीं सुनते। सब नए नए ढंग बाहरियों से और रेडियो टीवी से सीख रहे हैं।

समाज के इस तरह बदलने का सबसे बड़ा कारण है सीसीएल की नीतियाँ।

सीसीएल बाप की ज़मीन लेती है और बदले में लड़के को नौकरी देती है। लड़का बन जाता है कमाने वाला और बाकी परिवार खाने वाला। पहले बाप कमाता था, बच्चों को खिलाता था, उनका मार्गदर्शन करता था, उन पर नियंत्रण रखता था। अपनी ज़मीन के रहने से फैसला बाप का चलता था। अब उल्टा है। अब नौकरी मिलने से बेटा मालिक हो गया है। अब पिता को बेटे का अच्छा-बुरा सब कहना मानना पड़ता है, अच्छा-बुरा सब व्यवहार सहना पड़ता है। इसी के चलते परिवार में स्वार्थवश लड़ाई भी होती है।

जब सरकार ही हमारे साथ ऐसा कर रही है तो न्याय के लिए कहाँ जाएँ ?

सब सीसीएल का दोष है। लेकिन सीसीएल सरकारी संस्था है। सरकार से हम कैसे लड़ेंगे? जब सरकार ही हम लोगों को बरबाद कर रही है तो हम न्याय माँगने कहाँ जाएँगे? ज़मीन के ऊपर जो है वह रैयत का है। ज़मीन के नीचे जो है वह सरकार का है। ठीक है कि सरकार ज़मीन के नीचे से कोयला निकाल रही है लेकिन साथ साथ ज़मीन के ऊपर हमारी मिट्टी, हमारे खेत, जंगल-झाड़-पेड़ सब भी बरबाद कर रही है।

ये सरकार भी तो हमने ही बनाई है। लेकिन इसी की पुलिस आती है और हमसे जानवरों जैसा व्यवहार करती है। फोर्स आती है हमारी आवाज दबाने ताकि हम सीसीएल की हर बात मान लें। गोली चलाने से भी नहीं चूकते। कहते हैं कि यदि हमने आवाज़ उठाई तो हम पर केस कर के जेल में डाल देंगे। हमारे घरों में छापा मारते हैं और हमारे परिवार के लोगों को परेशान करते हैं। हम मजबूर हैं और हमारे नेता भी कोई मदद नहीं करते हैं। सरकार को चाहिए कि हमारी बात सुने और हमारी समस्या का समाधान करे।

इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम आपसी मतभेद छोड़ कर एकमत हो कर चलें। संगठन बनाएँ और मजबूती से आंदोलन करें। माँग करें कि हमें सड़क, बिजली, पानी, घर की सुविधा दी जाए। हमारी सुरक्षा और पर्यावरण का ख्याल रखा जाए। और ये सब कुछ भी बिना एकता के नहीं होगा।

साक्षात्कार - 20

नाम : देवचरण मुण्डा
आयु : 45 वर्ष
स्थान : बिरसा नगर
भेंटकर्ता : एलेक्जैण्डर टिग्गा

देवचरण मुण्डा 1996 में रोहनिया टाँड से विस्थापित हो कर बिरसा नगर आए थे। ये 6 भाई हैं और इनके माता पिता जीवित नहीं है। यह यहाँ अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहते हैं। इनके 4 लड़के व 2 लड़कियाँ हैं जिनमें से 1 लड़की और 1 लड़के के अलावा सब का विवाह हो चुका है। इनके विचार में सीसीएल ने इन्हें विस्थापित कर के न सिर्फ इनके पुराने सुव्यवस्थित जीवन को तहस नहस कर दिया है बल्कि इनके गाँव, समाज, संस्कृति तथा धरती व प्रकृति के साथ इनके संबंध को भी सदा के लिए नष्ट कर दिया है। इनके रहने के लिए कोई स्थायी निश्चित जगह नहीं है जिससे यह महसूस करते हैं कि इनकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन व भविष्य अंधेरे में डूब गया है।

रोहनिया टाँड में हमारी 3 पीढ़ी बीत गई। हम उसी ज़मीन में रहते थे। उसी ज़मीन में खेती बाड़ी करते थे। उसी से हमारी गुज़र बसर चलती थी। खेती के अलावा हम लोग कुएँ बाड़ी में बैंगन, मिर्ची, टमाटर, वगैरह सब्ज़ी उगाते थे जिसे बाज़ार में नकदी पैसे के लिए बेच देते थे। जंगल से भी हमें आमदनी हो जाती थी। जलावन और इमारती लकड़ी मिलने से खर्चा तो बचता ही था। झाड़ पत्तों से झाड़ू बना कर बेचते जो 10 रु का होता था और खिजूर पत्ते की चटाई बेचते तो 50 रु बन जाते थे। फिर जंगल में फलों के पेड़ भी थे। जिससे पेट भी पालते थे और बाज़ार में बेच कर आमदनी भी होती थी। बीमार होने

पर जंगली जड़ी बूटी भी थी। बैध-ओझा मंत्र पढ़ कर देते थे तो आदमी ठीक हो जाता था। देवी देवताओं का बड़ा सहारा था।

हमारे रोहनिया टाँड में चौदिया नदी बहती थी जिसका बहुत बढ़िया ताज़ा पानी था। गाय, भैंस, बकरी के लिए पानी की कोई तकलीफ नहीं थी। उसमें मछली भी काफी थीं। जैसे कोई बेरोज़गार हुआ तो सारा दिन मछली मारने चला जाता था। 2 किलो तो मिल ही जाती थी और संयोग हुआ तो 10 किलो भी मार लेता था। उसे बिक्री कर के पैसा कमा लेता था। वहाँ काफी उन्नति थी क्योंकि सब ज़मीन जोत कोड़ने में लगे रहते थे।

वहाँ 3 जाति के लोग रहते थे- मुण्डा भाई सबसे ज्यादा थे, गंझू थे और एक राम कहार कहते हैं वो लोग थे। लेकिन सब मिलजुल कर रहते थे। शादी विवाह में सब जगह निमंत्रण होता था और सब मिलजुल कर विवाह निपटाते थे। मेहमानों का सेवा सत्कार एक साथ करते थे। समय पर एक दूसरे की मदद करते थे। जैसे किसी का घर गिर गया या पानी बाढ़ से खेत ज़मीन टूट गया है तो दिन भर काम करके मज़बूत कर देते थे और बदले मे सिर्फ खाना लेते थे। तो एक दूसरे के सहयोग से सब काम हो जाता था।

कोलियरी ने सारा जंगल उजाड़ दिया है

सरकार ने कोयला काठी करके भट्टा बना के जंगल को काट कर खत्म कर दिया है। कोलियरी ने बहुत बल्ली-सिल्ली काट कर जंगल को बिलकुल उजाड़ दिया है। पहले जैसा जंगल अब नहीं मिलता है। पहले कितने फलों के पेड़ मिलते थे, केन्द हुआ, पियार हुआ कितना बढ़िया मधु मिलता था जिसको आदमी लोग कितनी मेहनत से निकालते थे यह मधु दवा के काम में आता था। अदरक मिला कर देने से खाँसी शांत हो जाती थी अब कुछ नहीं मिलता है। तब हम लोग सरहुल में शिकार खेलने जाते थे। पहान से आदेश लेते थे। कई जानवर थे जंगल में। खरगोश हुआ, हिरण हुआ, कोटरा हुआ। जो कुछ मारते थे पहान को दे देते थे। वह अपनी खुशी से हमको खिला पिला कर भेज देता था।

अंधाधुन्ध कटते जंगल...

जिस दिन बैसाख का चांद दिखाई पड़ता था, उस दिन हम सरकारी थाने से अनुमति ले कर शिकार खेलते थे। उस दिन 3 या 4 गाँव मिल कर शिकार खेलते थे। तब हम लोग जंगल ऐसे जाते थे जैसे तीर्थ को जा रहे हों। सत्तू, गुड़, चीनी, चिउड़ा साथ ले जाते थे और वहाँ नदी के पास शिकारी देवता को चढ़ाते थे और खाते थे। फिर वहीं 2 चक्र खेलते थे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मारा जाता था। उसको हम लोग आपस में बाँट लेते थे चाहे 1 छंटाक हो चाहे 2 छंटाक। साथ महुआ रखते थे। उसको पीने से कोई असर नहीं पड़ता था। पेट को ठंडा रखता था, हल्का नशा आता था तो थकावट दूर हो जाती थी।

शिकार बहुत अच्छा रहता था। हर जगह के लोगों से मिलन हो जाता था। नागपुर, राँची, हजारीबाग के लोग भी मिल जाते थे। एक दूसरे के दुख सुख का समाचार मिल जाता था। रिश्तेदार भी अपने घर की बातचीत कर लिया करते थे। तो शिकार नहीं भी मिलने पर यह सुविधा थी कि एक दूसरे का दूर का समाचार भी मिल जाता था। पर अब तो सारा जंगल ही कोलियरी ने उजाड़ दिया है।

जब हमें विस्थापित किया तो लगा जैसे हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई है

हमें 1996 में ज़मीन अधिग्रहण का नोटिस मिला कि आप लोग रोहनिया टाँड से उठ कर बिरसा नगर चले जाइए। हमें लगा जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हो गई है जो बाप दादा की बनाई पुश्तैनी ज़मीन को छोड़ कर जाना पड़ रहा है। सीसीएल ने कहा कि आप लोगों को घर उठाने के लिए 7000 रु दिया जाएगा, घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। जहाँ जाएँगे वहाँ स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली सब दिया जाएगा। 3 एकड़ ज़मीन पर नौकरी दी जाएगी। जिनको नौकरी नहीं देंगे उनको पूँजी देंगे कि वे कुछ धंधा कर सकें। ऐसा कह कर उन्होंने लोगों को अलग अलग ले जा कर समझौते का पाठ पढ़ाना शुरू किया। इससे लोगों में फूट पड़ गई। हम लोगों ने बिरसा नगर में घर बना लिए।

लेकिन यहाँ विस्थापित लोगों को भारी दिक्कत है। यहाँ इन्होंने हमें कोई सुविधा नहीं दी है। स्कूल है, 2 हैण्ड पम्प लगा दिए हैं और जानवरों के लिए छोटा सा तालाब बना दिए हैं। चिकित्सा, इत्यादि की कोई सुविधा नहीं है। कोई परिवार में अगर बीमार हो जाए तो 1 सुई या टैबलेट भी नहीं मिलती है। इसके चलते 2 आदमी की मृत्यु-दुर्घटना भी हो चुकी है।

जहाँ तक बेरोज़गारों को पूंजी देने का सवाल था तो वो तो किसी को नहीं मिली। 1-2 लोगों को 5000 रु दे कर मुँह बंद कर दिया। 3 एकड़ में नौकरी देने की बात थी। तो वो ज़मीन तो ले ली। लेकिन जैसे किसी की 20 डी मी 30 डी मी अतिरिक्त ज़मीन थी, उसका कोई हिसाब नहीं किया। वो अभी तक सीसीएल के पास पेंडिंग पड़ी है। जहाँ तक नौकरी की बात है तो रोहनिया टाँड से सिर्फ 14 लोगों को नौकरी मिली है। 34-35 आदमी अभी और बाकी है जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं। हम लोग अब भी आस देख रहे हैं कि बेरोज़गारों को काम दिया जाएगा। बेरोज़गार लोग ठेकेदारी में कुली कबाड़ी का काम खोजते हैं। कहीं काम मिला तो ठीक है नहीं तो घर लौट कर चले आते हैं। काम मिलता भी है तो सप्ताह में 2-3 दिन। बस 30-35 रुपये का रोज़गार मिलता है। इसलिए बहुत हल्का खाना खाते हैं। बस किसी तरह अपना जीवनयापन करते हैं। और काम नहीं मिलता तो हताश हो कर घर लौट आते हैं और सोचते हैं कि दिन कटा अब रात कैसे कटेगी?

हमारे देवी देवता की कोई स्थायी जगह नहीं है यहाँ

वहाँ रोहनिया टाँड में सरना था। उधर के पेड़ हमारे पुरखों ने लगाए थे। अजगर जैसे मोटे मोटे पेड़ वहाँ अब भी हैं लेकिन उनकी मान्यता छूट गई। इसलिए क्योंकि वहाँ की जगह ज़मीन टूट गई और आदमी वहाँ बचे नहीं। हमारे गाँव का गाँवट (पुश्तैनी देवता) था दारहा चिड़ी जिसको हम पूजा पाहुर देते थे। पर अब रोहनिया टाँड टूट गया और हम यहाँ बिरसा नगर आ गए हैं। यहाँ हमें अपने देवता को लाना तो होगा ही। लेकिन यहाँ देवीस्थान स्थायी रूप से नहीं है। एक जगह हमने रोड किनारे पर एक कमरे का स्थान बना दिया है लेकिन वहाँ एक सखुआ का पेड़ भी नहीं है। बस वहीं एक छोटा सा अखाड़ा बना दिया है जहाँ ढोल नगाड़े वगैरह रख दिए हैं। लेकिन वहाँ कितने भाई बहन खेल सकते हैं?

अब हम लोग सोच रहे हैं कि सरहुल समय में पूरे गाजे बाजे के साथ जलूस निकाल कर, वृद्ध आदमी को पुजारी बना कर देवता को ला कर यहाँ बैठा देंगे। अब इसके लिए पैसा या तो सीसीएल देगी, या वर्ल्ड बैंक देगा। नहीं देगा तो भी अपना दस्तूर मानना तो ज़रूरी है। क्योंकि अपने देवता को छोड़ देने से हमें बहुत परेशानी हो रही है। उसका सहारा छुटने से यहाँ 2 आदमियों की मृत्यु तक हो चुकी है। बहुत क्षति हुई है।

हम लोग उस चिड़िया के समान हैं जो आज यहाँ कल वहाँ

अगर हम रोहनिया टाँड में रहते तो शायद बिहार सरकार हमको इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घर द्वार बनाने देती। लेकिन बिरसा नगर में जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं उसकी रसीद तक हमको सीसीएल ने बना कर नहीं दी। और न ही देगी। क्योंकि हमारे विचार से सीसीएल के पास इतनी पॉवर ही नहीं है कि हमको ज़मीन की रसीद बना कर दे। सीसीएल का ब्लॉक के अधिकारियों से कोई तालमेल नहीं है। वे जो भी करते हैं दरभंगा हाऊस में ही करते हैं। वे बस इतना ही देखते हैं कि कागज़ पत्र इतना ठीक होना चाहिए कि नौकरी दी जा सकती है कि नहीं।

आज हमारी स्थिति उस चिड़िया के समान है जो आज इस पेड़ पर घोंसला बनाती

है तो कल उस पेड़ पर। उसका कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ है तो कल वहाँ। अगर कल सीसीएल बोले के यह जगह छोड़ो, यहाँ से भागो तो हम क्या करेंगे? इसका कोई उपाय नहीं है। इस समय लोगों को 10 मीटर ज़मीन मिली है, उसे भी आगे जा कर छीन लिया जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये ज़मीन भी सीसीएल की है और कोयला भी सीसीएल का है। आज नहीं तो कल यहाँ कोयला सब खत्म हो जाएगा। तब तो सीसीएल यह भी सोच सकती है कि चलो इन लोगों को वापस फूटी नष्ट ज़मीन पर डाल दो।

अगर हमें यहाँ से हटा दिया तो हम लोग सब छिन्न भिन्न हो जाएँगे। कोई कहीं चला जाएगा कोई कहीं। हम लोग अलग नहीं होना चाहते लेकिन मजबूरी में आदमी करेगा क्या? हवा पीकर तो आदमी रह सकता नहीं है। समाज अगर टूट भी जाए तो भी आदमी को पेट पालने का तो सोचना ही पड़ेगा न।

कैसे बताएँ आपको कि यहाँ कैसे जी रहे हैं? जो महिलाएँ सब हमारे साथ खेतों में बराबर का काम करती थीं वो ही आज घरों में बंद रहती हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है और उन्होनें कभी कुली कबाड़ी का काम नहीं किया है। छोटे छोटे घरों में रहते हैं तो जानवर पाल नहीं सकते। जहाँ हमारे घर में 25-25 गायें रहती थीं जिनका दूध हम सीसीएल कॉलोनी में बेचते थे, वहाँ आज हमारे यहाँ दूध का दर्शन करना मुश्किल है। हम सारे साल का अनाज अपने खेतों में उगाते थे तो आज हमें भूखे भी सोना पड़ता है। लगता है जैसे ये जीना बेकार है।

आज भी जब भाई लोग शाम को मिलते हैं तो कुशल मंगल पूछते हैं। एक दूसरे को दुख तकलीफ बताते हैं। लेकिन जैसे रोहनिया टाँड में एक दूसरे की मदद करते थे वैसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि किसी के पास नाज नहीं। आज हमें किसी का भी आसरा नहीं है।

साक्षात्कार - 21

नाम : पन्नू गंझू
आयु : 62 वर्ष
स्थान : बरतोली, कुटकी ज़िला
भेंटकर्ता : दीपक कुमार दास

पन्नू गंझू अपने परिवार से अलग, खदान से लगभग 5 किमी की दूरी पर कुटकी जंगल में दामोदर नदी के किनारे वास कर रहे हैं। यह अपनी वृद्धा पत्नी तथा 30-35 मवेशियों (गाय-बैल, भैंस,बकरी) के साथ करीब 5 एकड़ जमीन में एक खपरैल का घर बना कर रहते हैं। इनके 4 लड़के थे जिनमें से 1 की मृत्यु हो गई और बाकी 3 बरतोली में रहते हैं। पन्नू गंझू 2 बार विस्थापित हुए हैं, 1 बार डकरा कोलियरी से और दूसरी बार बरतोली से जहाँ से यह खुद ही चले आए क्योंकि इन्हें एक तो खदान के अधिकारियों का व्यवहार अन्यायपूर्ण लगा और दूसरे वहाँ यह अपने जानवरों का पालन नहीं कर पाते थे। पन्नू गंझू अशिक्षित होने के बावजूद एक जागरूक इंसान हैं जो अपनी संस्कृति, जमीन,जल, जंगल से बेहद प्यार करते हैं। यह यहाँ दामोदर नदी के किनारे जंगल के सुंदर वातावरण में ही थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी तथा पशु पालन करते हुए पारम्परिक जीवन गुजारना चाहते हैं।

हम डकरा के मूल निवासी हैं। वहाँ हमारे पूर्वजों ने जोत कोड़ कर ज़मीन बनाई और कुआँ तो हमने खुद बनाया । लेकिन जब वहाँ खदान खुल गई तो हमें वहाँ से उठने पर मजबूर कर दिया। हमारे 40-50 गाय-भैंस और घर का सारा सामान हमें अपने आप ही ढोना पड़ा। ये ले कर हम बरतोली आ गए। लेकिन वहाँ पर भी सीसीएल ने हमारी

जमीन पर कॉलोनी बना दी जिससे जानवर निकालने में, पालने में बड़ी परेशानी होने लगी। हम लोग ज़मीन खरीदना चाहते थे लेकिन दाम बहुत ज़्यादा था। इसी चक्कर में हमारे 20-25 जानवर भी मर गए।

इसी के चलते हम जानवर ले कर कुटकी जंगल में आ गए। लेकिन जाने क्या बात है कि जानवर अभी भी एक एक कर के मर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है ये तो मालूम नहीं लेकिन दिल में बहुत दुख होता है। मेहनत का फल अगर तैयार हो कर भी न मिले तो भूख प्यास का अनुभव होता है। साथ ही अफ़सोस होता है कि हमारे जानवर मर गए, अब किससे खेती बारी करेंगे?

अब समाज नहीं बचा, सिर्फ परिवार रह गया है

पहले तो समाज अच्छा था। लेकिन आज समाज कहाँ है? सब तो सिर्फ परिवार मे तब्दील हो गया है। पहले समाज में सभी जातियों का एक संगठन था। शादी विवाह, पर्व-त्योहार सब एक साथ मिल कर मनाते थे। डकरा में हम गंझू लोग बहुतायत में थे, कुछ तूरी थे, कुछ करमाली और मुसलमानों का एक परिवार था। तो हम सब लोग आपस में बहुत मिल जुल कर रहा करते थे। लेकिन पहले एक बात थी, पहले छुआछूत बहुत थी। जैसे ऊँची जाति वाले नीची जाति वालों के साथ खाना नहीं खाते थे। और न ही उनका छुआ हुआ भोजन ही करते थे। लेकिन फिर भी समाज बहुत अच्छे से चलता था क्योंकि समाज की व्यवस्था बुजुर्गो के हाथ में थी। समाज में रह कर कोई भी व्यक्ति किसी तरह का अपराध या गलत काम करे तो उसे पंचायत द्वारा दण्ड दिया जाता था। इस वजह से समाज में स्वार्थ कम था। सब एक दूसरे का लिहाज करते थे। मिलजुल कर गाँव की हर बात करते थे। साथ बैठ कर विचार विमर्श करते थे। फिर उस समय सभी लोग खेती बाड़ी से ही गुज़ारा करते थे तो एक दूसरे का दुख दर्द भी समझते थे।

अब तो समाज है ही कहाँ? कैसा समाज? अब तो समाज का कोई रूप ही नहीं दिखाई देता है। सब अपनी मन मर्ज़ी के मालिक हैं। जिसको जो करना है वो कर रहा है

सब को बस रुपये से मतलब रह गया है। खदान आने के बाद सब एक दूसरे से दूर हो गये हैं और सब में स्वार्थ आ गया है। समाज का बस नाम रह गया है।

सीसीएल ने हमको 2 बार विस्थापित किया है

पहले तो सीसीएल ने हमको डकरा से उठने पर मजबूर कर दिया क्योंकि डोज़र चला कर हमारा घर धाँस दिया। पहले तो ज़मीन ले ली जिसके बदले में नौकरी दी। पर तब मेरे लड़के छोटे थे। उन्हें बाद में नौकरी मिली। फिर 2 दिन पहले नोटिस दिया कि घर धाँस रहे हैं इसलिए उठ जाइए। हम तो अवाक् रह गए कि कहाँ जाएँगे, क्या खाएँगे? हम लोग ने रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वह बड़ी निर्दयतापूर्वक डोज़र चला देते थे। अगर हम फिर भी नहीं मानते तो हम पर पुलिस लगा दी जाती। हमको घर का मुआवज़ा भी नहीं दिया है। न ही पुनर्वास का कोई स्थान दिया। हम लोग अपने से ही बरतोली में बस गए।

यहाँ बरतोली में कुछ ज़मीन थी कुछ टाँड था। जैसे तैसे उसी को जोत कोड़ कर, बच्चे लोग सवा रुपये में मज़दूरी कर के, कैसे भी अपनी जीविका चलाई। हम लोगों को 90,000 रुपये ज़मीन के बदले मुआवजा मिला था जिसमें से हमें 70,000 रु ही मिले। बाकी ये सारे खौआ मौआ, घूसखोरे, दलाल, मुंशी-पेशकार खा गए। इसलिए हमको वहाँ गुजारा करने में बहुत मुश्किल हुई। थोड़े दिन वहाँ रहे तो फिर मुसीबत आ गई। सीसीएल वहाँ पर क्वार्टर बना कर कॉलोनी बनाने लगी।

सरकार ने अपनी मर्ज़ी चला ली। हमारी 13 एकड़ ज़मीन सीसीएल ने पूरी अधिग्रहण कर ली थी। वहाँ पर क्वार्टर बनाने शुरू कर दिए। हमने बहुत हल्ला किया, बहुत विरोध किया। कोड़ी-कुदाल, गैंता, बेलचा, परात सब उठा कर फेंक देते थे, लेकिन फिर भी सीसीएल नहीं मानी। हमारे घर के आसपास पूरी कॉलोनी बना दी। हम तो परेशान हो गए। इधर घर, उधर ऑफिस, उधर हेसालाँग प्रोजेक्ट, हमारा तो नित्यक्रम को जाना मुश्किल हो गया। हमारी ज़मीन पर सब बाहरी आदमी बस गए। हमको सीसीएल कुछ बनाने नहीं देती

थी। पुलिस 10,000 रु माँगती थी। कहती थी पहले हमको पैसा दो फिर बनाओ।

हम यहाँ कुटकी जंगल अपने मवेशियों के चलते आए हैं। वहाँ उनका जीना मुश्किल हो गया था। वातावरण भी तो होना चाहिए पशुपालन के लिए। वहाँ तो जानवर रखने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। सारी ज़मीन तो सीसीएल ने लूट ली। एक बात है कि यह स्थान शुद्ध है। सामने दामोदर नदी है। यहाँ ज़मीन है। जिसमें मकई, मडुवा उपजाया जा सकता है। खुद उपजाते हैं, नया खाते हैं, ताजा खाते हैं।

हमने तो कुटकी जंगल भी आ कर गुनाह किया

सीसीएल ने हमको पुनर्वास नहीं दिया। हम तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ कुटकी आए। सब लोग तो नहीं आए। 4 जन आए थे जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। यहाँ आने के बाद सीसीएल ने भी कह दिया कि यहीं रहो। असल में यह जगह वन विभाग की है। इसलिए

पेड़ के नाम से गाँव का नाम रखा जाता था।

जब मैं यहाँ आया तब यह इलाका बहुत सुंदर होता था। अभी जहाँ पर खदान है पहले वहाँ बड़े-बड़े पेड़ होते थे। वहाँ उसके बगल में बड़े-बड़े सरजोम के वृक्ष थे जो बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ले लिए। यहाँ सालगा पेड़ भी खूब बड़े-बड़े थे। इसलिए टोला का नाम सालगा टोला रखे। वहाँ उस तरफ उस टोला में दो बड़े-बड़े बरगद के पेड़ थे। इसलिए उस टोला का नाम बोरवा टोला पड़ गया। उस समय यहाँ के लोग बहुत गरीब थे। लेकिन 15 साल पहले तक यह जगह बहुत ही सुंदर थी। वहाँ उस तरफ गरीबों ने सिंहाड़ा के बहुत पेड़ लगाए थे। इसलिए उधर का नाम पड़ गया सिंहाड़ा टोला। तो पहले पेड़ों के नाम पर ही गाँव का नाम रखा जाता था - नीम टोला, खिजूर टोला, सालगा टोला, बोरवा टोला, सिंहाड़ा टोला, इत्यादि। अब तो सब पेड़ ही खत्म हो गए। थोड़े दिन में लोग गाँव का नाम भी भूल जाएँगे।

जुबली मांझी - 57 वर्ष - फूसरी, सालगा टोला

सीसीएल ने हमको कागज़ात नहीं दिए ज़मीन के। बस यह जगह दिखा कर बता दिया कि यहाँ कोने में रहो।

हम वर्षों से केस लड़ रहे हैं। वन विभाग की पुलिस हमको बांध कर थाने ले गई और हमको जेल की हवा भी खिलाई। अब तक पुलिस परेशान करती है। हमने तो यहाँ आ कर गुनाह किया। सीसीएल ने तो सरकार की मर्ज़ी से हमारी ज़मीन लूटी। लेकिन जब हमने यहाँ जोत आबाद किया तो वन विभाग वाले हमें थाने ले गए। फिर रांची ले गए। इतना हमें परेशान किया। लेकिन अब जब गुनाह किया है तो सजा तो सहनी पड़ेगी। सोचने से क्या होगा? हम गरीब लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। अब चाहे जो करो। चाहे फांसी, चाहे जेल दो। इस ज़मीन के चलते अब तक जान का डर है।

सोचते यही हैं कि बाल बच्चे कुछ करें। हमको तो आज न कल मरना ही है। वैसे भी बूढ़ा बूढ़ी यहाँ जंगल में अकेले रहते हैं। 2 बार चोर आ चुके हैं, एक बार हमको केरोसीन डाल के जलाने की कोशिश भी की। हम अकेली जान क्या क्या करें? बच्चों को खेती बारी में मेहनत कर के खाना अच्छा नहीं लगता। हम बूढ़ा बूढ़ी उन्हीं के लिए कृषि करते हैं, किंतु वे केवल खाने के भागीदार हैं, कमाने के नहीं। जो कुछ हम उपजाते हैं, वे आ कर ले जाते हैं। हम चाहते हैं सब परिवार एक साथ रहे, बैठ कर विचार विमर्श मिल जुल कर करे। पहले नाती पोतों से भी दिल बहल जाता था। पर अब ऐसा नहीं हो सकता। बस हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी किसी तरह यहाँ अकेले अपना गुजारा कर रहे हैं।

सीसीएल ने हम सबको मिट्टी में मिला दिया है

खदान के आने से सब कुछ बदल गया। खाना-पीना, रहन-सहन, रीति रिवाज़, पहनावा-ओढ़ावा,सब बदल गया। जब आदमी ही बदल गया तो और चीज़ को क्या बोलें? सीसीएल ने तो हमको उजाड़ दिया है। हमारी ज़मीन, हमारा जंगल, हमारा सरना, सब मिट्टी में मिला दिया। ज़मीन में तो खदान बन गई। हमारे मवेशियों के लिए रहने,खाने-पीने की कोई जगह नहीं है। इन सब की वजह से हमें खेती-बाड़ी, दही-दूध, जंगली जड़ी-बूटी, सब

चीज से वंचित होना पड़ रहा है। फिर और समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, परिवार में झगड़े,समाज और व्यवस्था का बिलकुल विलुप्त हो जाना।

पहले जैसा पर्व त्योहार भी नहीं रहा। जो पहले नाच-गान, झूमर-गीत होता था वह सब मर गया है। आजकल के बच्चे तो झूमर सुनना ही नहीं पसंद करते। अब तो लोग रेडियो-स्टीरियो लगा कर नाच लेते हैं। कोई भी पर्व पहले जैसी धूमधाम से नहीं मनाया जाता। लोग मन से अब कोई त्यौहार नहीं मनाते। किसी में उत्साह देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन इसमें लोगों की क्या गलती है? खदान के आने के बाद सब विस्थापित हो गए। नौकरी मिलने के बाद से सब अपने में मगन हैं। फिर हमारे जंगल पेड़ सब काटे जा रहे हैं। हमारे सरना तक पर हमला हो रहा है। नाश किया जा रहा है हमारे धर्मस्थल को। फिर जब अखाड़ा ही नहीं रहा ता लोग मिलेंगे कहाँ ? नाचेंगे कहाँ? विस्थापना के बाद हमने खुद 20 वर्षों से पर्व त्योहार नहीं मनाया है। माना कि खदान न आने से घाटा है, नुकसान है लेकिन कोयला निकालने तक तो सब ठीक है, पर लोगों को उठा कर उनका घर उजाड़ना उनका जीवन बरबाद कर देता है। इसलिए हम तो कहते हैं कि खदान कभी न आए तो ही अच्छा है।

खेतों की हरियाली...

खदानों से हुई काली...

आभार

सब से पहले हम उन सब लोगों के आभारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विशेषतः उन लोगों के जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया तथा अपनी यादें, अनुभव और विचार हमारे साथ बाँटे। इन सभी लोगों की जिज्ञासा व उत्साह ने ही इन साक्षात्कारों को इतना सरस और रोचक बनाया। अनेक लोगों ने अपनी आपबीती हमें सुनाई। यद्यपि हम वे सभी साक्षात्कार इस संकलन में नहीं शामिल कर पाए हैं किंतु उनकी वजह से हमें जो अंतर्दृष्टि व स्थिति की गहरी समझ मिली है उसके लिए हम उन सभी लोगों के हार्दिक रूप से आभारी हैं।

इसके बाद हम आभार प्रगट करते हैं CIDA का जिन्होंने इस परियोजना को आर्थिक समर्थन दिया।

पैनोस लंदन मौखिक साक्षात्कार परियोजना की निदेशक **ऑलिविया बेनेट** के बिना यह परियोजना अंसभव थी। उन्होंने ही इसका संकल्पन कर के इसकी रूपरेखा तैयार की जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं।

प्रेरणा के **फ़ादर टोनी हर्बर्ट** का सहयोग और योगदान अवर्णनीय है जिन्होंने प्रोजेक्ट की रूपरेखा को एक ठोस रूप देकर उसे लागू किया और पूरे समय अपना मार्गदर्शन व अहम् अंतर्दृष्टि प्रदान करते रहे। साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं **श्री जस्टिन इमाम** का जिन्होंने साक्षात्कारकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, साक्षात्कारों का प्रथम अनुवाद किया और हर कार्य में अपना पूरा समर्थन दिया। हम **श्रीमती कुंतला लाहिरी दत्त** को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बड़ी दक्षता से समन्वयक की भूमिका निभाई, परियोजना के विषय में अहम् लोगों में जानकारी फैलाई और साक्षात्कारों का विश्लेषण भी किया।

हम हृदय से आभारी हैं **सुश्री सोनल वर्मा** के जिनके अथक प्रयास के बगैर यह प्रोजेक्ट संपूर्ण नहीं हो पाता। इन्होंने दो दो बार साक्षात्कारों का अनुवाद किया, उनका

संपादन कर के इस पुस्तक के रूप में उनका संकलन किया। इन्होंने इस परियोजना के लिए और भी मुद्रित सामग्री की संकल्पना और रचना कर के परियोजना की जानकारी प्रचारित करने में अमूल्य योगदान दिया।

और अंत में हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे भेंटकर्ताओं की उत्कृष्ट टीम का जिन में से कुछ स्वयं विस्थापित हैं। इनकी संवेदना और सुहानुभूति के बगैर जन समुदाय के लोग इतनी गहराई और विस्तार से अपने विषय में जानकारी कभी न देते। ये साक्षात्कारकर्ता हैं: **एलेक्ज़ैण्डर टिग्गा, धनेश्वर गंझू, शंकर गंझू, कामिल सोरेन,फ़िलन होरो, दावलेन मिंज़, सिस्टर बीना स्टैनिस, बार्नाबास टुडू, दीपक कुमार दास तथा गणेश किस्कू।**

मितू वर्मा
राष्ट्रीय निदेशक - भारत
पैनोस साउथ एशिया

साक्षात्कार में रुचि लेते हुए आदिवासी बालक।